एनपीपीए के प्रकार्य

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के प्रकार्य

(1) सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश के उपबंधों को लागू करना;

(2) प्राधिकरण के निर्णयों से उत्पन्न सभी कानूनी मामलों पर कार्रवाई करना;

(3) औषधों की उपलब्धता को मानीटर करना और यदि कोई कमी हो तो उसकी पहचान करना तथा निवारणात्मक कदम उठाना;

(4) उत्पादन, निर्यात और आयात, अलग–अलग कंपनियों का बाजार में हिस्सा, प्रपुंज औषधों तथा सूत्रयोगों के लिए कंपनियों की लाभदेयता आदि संबंधी आंकड़ों को एकत्र करना/रख–रखाव करना;

(5) औषधों/भेषजों के मूल्य निर्धारण के संबंध में संगत अध्ययन शुरु करना/प्रायोजित करना;

(6) प्राधिकरण के अधिकारियों और स्टाफ के अन्य सदस्यों की सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार भर्ती/नियुक्ति करना;

(7) औषध नीति में परिवर्तनों/संशोधनों से संबंधित नीतिमूलक उपायों के संबंध में केन्द्र सरकार को सलाह देना;

(8) औषध मूल्य निर्धारण से संबंधित संसदीय मामलों में केन्द्रीय सरकार को आवश्यक सहायता देना।